

25/08/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने अग्राधीनता की तरफ से जवाब प्रा.पत्र पेश किया। पत्रावली वास्तव में जवाब हेतु दिनांक - 02.09.2020 को पेश हो,

02/09/20 अतिवक्ता श्री राजाराम चौधरी
सत्य दिनांक 10/09/20

10/09/20 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अग्राधीनता के बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता पारदर्शिता द्वारा समझाया गया है। अतः अधिवक्ता अग्राधीनता को बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक - 16.09.2020 को पेश हो।

16/09/20 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता ने मूल बाह में सहमति जताई कि पहलकारण अफली-2 खोलेदारी की श्रेणी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहेंगे एवं एक-दूसरे पहलकारण की आयोजित में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उपयोग उपभोग से वंचित नहीं करेंगे। पानन्द रहेंगे। अतः मूल बाह उभयपक्ष की सहमति के आधार पर डिडी बिगो जाने के करण प्रा.पत्र अस्थाई निवेद्याना रजिस्ट्रिज किया जाता है। पत्रावली निर्दिष्ट शुभकर होकर दफ्तर दाखिल एवं नम्बर से जारी हो। पत्रावली मूल बाह के साथ संलग्न रहे।

सुपड अधिवक्ता (टाँक)

रोबर, सत्य प्रतिनिधि
उप बाह अफली
प्रा.पत्र अफली